

प्रारम्भिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ है।

(२) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और वर्तमान विभिन्न विद्यमान विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विभिन्न तारीखों नियत की जा सकेगी और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति-निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है, जिसको यह अधिनियम उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रवृत्त हुआ है।

(३) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय (जिसका नाम उक्त विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय होगा) को इस अधिनियम के लागू होने में राज्य सरकार १८०८-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों में ऐसे अपवाद या उपान्तर, जो सारतः प्रभाव न डालते हों, कर सकेगी, जो परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हैं।

(४) (क) धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाने के पश्चात् काशी विद्यापीठ को इस अधिनियम के लागू होने में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों में ऐसे अपवाद या उपान्तर, जो सारतः प्रभाव न डालते हों, कर सकेगी, जो परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों।

१(ख)

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(१) 'विद्यापरिषद्' 'सभा' और 'कार्यपरिषद्' से विश्व-विद्यालय की क्रमशः विद्यापरिषद्, सभा और कार्यपरिषद् अभिप्रेत हैं;

(२) 'सम्बद्ध महाविद्यालय' से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों तथा किसी विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों;

(३) 'विश्वविद्यालय का क्षेत्र' से विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में व्याख्याति, धारा ५ या धारा ४ द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;

(४) 'सहयुक्त महाविद्यालय' से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय की उपाधि ग्रहण करने के निमित्त आवश्यक शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत हो;

(५) 'स्वायत भावितव्यालय' से कोई ऐसा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है, जो धारा ४२ के उपबन्धों के अनुसार ऐसा घोषित किया जाय;

(६) (क) पट 'नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों' का तात्पर्य वही होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम १९९४ में है;

१(५) 'केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड' का तात्पर्य धारा १८-ख में निर्दिष्ट केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड से है;

(६) 'घटक महाविद्यालय' से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा घोषित हो, और परिनियमों द्वारा इस प्रकार नामांकित हो;

२(६) 'समन्वय परिषद्' का तात्पर्य धारा १८-क के अधीन गठित समन्वय परिषद् से है;

(७) 'निदेशक' से किसी संस्थान के सम्बन्ध में उस संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है;

(८) 'वर्तमान विश्वविद्यालय' से अभिप्राय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, लिलावाड़ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय ३(जो कि २४ सितम्बर, १९९५ से डाक्टर भीराहा अम्बेटकर विश्वविद्यालय, आगरा कहा जायेगा), गोरखपुर विश्वविद्यालय ४८जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (हिन्दी संशोधन) अधिनियम १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर कहा जायेगा, कानपुर विश्वविद्यालय ५८जो कि २४ सितम्बर, १९९५ से श्री शाहजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से क्षत्रपति शाहजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर कहा जायेगा, या मेरठ विश्वविद्यालय ६(जो कि १७ जनवरी १९९४ से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ कहा जायेगा) या सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ जैसा सामता या सन्दर्भ हो;

(९) 'संकाय' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

१(१९) 'आधारभूत पाठ्यक्रम' का तात्पर्य स्वयं के और अधिक बोध और सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी के पाठ्यक्रम से है;

(१०) 'विश्वविद्यालय का छात्र निवास (या महाविद्यालय)' से छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा घोषित या मान्यता प्राप्त हो और जिसमें पाठन तथा अन्य अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था हो;

(११) 'विश्वविद्यालय का छात्रावास' से छात्र निवास से भिन्न छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा घोषित या मान्यता प्राप्त हो तथा 'सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का छात्रावास' से उस महाविद्यालय के छात्रों के निवास की इकाई अभिप्रेत है;

(१२) 'संस्थान' से धारा ४४ के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कोई संस्थान अभिप्रेत है;

(१३) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्रबन्धतन्त्र' से ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिस पर उस महाविद्यालय के कार्यकलाप के प्रबन्ध का भार है और जो कि विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो;

२परन्तु किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगर महापालिका द्वारा घोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में पट 'प्रबन्धतन्त्र' का तात्पर्य, यथास्थित, ऐसे बोर्ड या महापालिका की शिक्षासनिति से है, और पट 'प्रबन्धतन्त्र' के अध्यक्ष' का तात्पर्य ऐसी समिति के अध्यक्ष से है;

(१४) 'विहित' से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(१५) 'प्राचार्य' से किसी सम्बद्ध, सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में ऐसे महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है,

(१६) 'रजिस्ट्रीकृत स्नातक' से इस अधिनियम या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत विश्वविद्यालय का कोई स्नातक अभिप्रेत है;

(१७) 'परिनियम', 'अध्यादेश' और 'विनियम' से क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम अधिष्ठेत हैं;

(१८) १८८-वित्त पोषित पाठ्यक्रम' से ऐसा पाठ्यक्रम अधिष्ठेत है, जिसके सम्बन्ध में सभी वित्तीय दायित्वों का बहुत सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धनात्मक या विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा;

(१९) २ अध्याय न्यायालय के सिद्धाय इस अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में 'अध्यापक' से ऐसा व्यक्ति अधिष्ठेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी विद्या या पाठ्यक्रम में शिक्षण के लिए या अनुसंचाल कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए विश्वविद्यालय या उसके किसी संस्थान या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित हो और उसके अन्तर्गत प्राचार्य या निदेशक भी हैं;

(२०) 'विश्वविद्यालय' से कोई विद्यामान विश्वविद्यालय या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् याएँ ४ के अधीन स्थापित कोई नया विश्वविद्यालय अधिष्ठेत है;

(२१) 'श्रमजीवी-महाविद्यालय' से याएँ ४३ के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में मान्यताप्राप्त सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अधिष्ठेत है।

अध्याय-२

विश्वविद्यालय

२. (१) किसी विश्वविद्यालय में कुलपति से तथा कार्यपाल, सभा और विद्यापरिषद् के सदस्यों के रूप में तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्तियों से मिलकर एक नियमित निकाय उस विश्वविद्यालय के नाम से गठित होगा।

(२) प्रथम विश्वविद्यालय का शारवत उत्तराधिकार होगा, और उनकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा अपने नाम से बह बाद लायेगा और उस पर बाद लाया जायेगा।

४. (१) ऐसी तारीख से जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस नियमित नियत करे, अनुसूची में क्रमशः विश्वविद्यालय और श्रीनगर (जिला गढ़वाल) में गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

(२-क) १९८१ में राज्य तारीखों से जिसे या जिहें राज्य सरकार राजपत्र से अधिसूचना द्वारा इस नियमित नियत करे—

(क) झाँसी में बुदेलखण्ड विश्वविद्यालय;

(ख) फैजाबाद में अबध विश्वविद्यालय २८जिसे १८ जून, १९९४ से डाक्टर रमननाहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा ११ जुलाई, १९९५ से डॉक्टर रामननोहर लोहिया अबध विश्वविद्यालय, फैजाबाद कहा जायेगा।

(ग) बरेली में रोलेखण्ड विश्वविद्यालय ३२जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (दिलीप संरोधन) अधिनियम, १९९६ के प्रारम्भ की तिथि से महाराष्ट्र ज्योतिष्ठापुरे रोलेखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली कहा जायेगा।

अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट लेन्डों के लिये स्थापित किये जायेंगे।

(२-घ) उपधारा (१-क) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में—

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के (कुलाधिकार से भिन्न) अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी, और ऐसे विश्वविद्यालय के लिये ऐसी शीति से, जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी, और ऐसे विश्वविद्यालय के लिये

(ख) २५००००० रुपये की राज्यवित्ती के अधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे; "जह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अन्यकाल काल तक के लिए बढ़ा सकती है।"

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी, कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदाधिकारी की समानि के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

(२) बाराणसी में काशीविद्यापीठ नामक संस्था को १५जिसे दिनांक ११ जुलाई, १९९५ से महाराष्ट्र गाँधी काशीविद्यापीठ कहा जायेगा। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय उस तारीख से समझा जायेगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस नियमित नियत करे।

(३) उपधारा (२) के अधीन नियत तारीख से—

(ट) काशीविद्यापीठ, बाराणसी नामक सोसायटी विश्वविद्यालय को जायेगी, और सोसायटी के सभी जंगम और स्थावर सम्पत्ति और अधिकार, शक्तियों तथा विशेषाधिकार विश्वविद्यालय को अन्तरिम और उनका प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिये किया जायेगे, जिनके लिये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

(ग) उक्त सोसायटी के सभी जंग, दायित्व तथा आधिकारियों के उपबन्धों के लिये उत्तराधिकार विश्वविद्यालय को अन्तरिम हो जायेंगे, और तत्पश्चात् उनके द्वारा उन्मोचित तथा तुष्ट किये जायेंगे;

(ग्ग) किसी विनियमित में उक्त सोसायटी के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा, मानो वे विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश हों;

(ग्घ) किसी विल, विलेख या अन्य दस्तावेज का चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् तैयार या निष्पादित किया गया हो और जिसमें उक्त सोसायटी के पक्ष में कोई वसीयत, दान या न्यास हो, ऐसा अर्थ लगाया जायेगा, मानो उसमें ऐसी सोसायटी के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम हो;

(ग्ग्ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त तारीख के टीके पूर्व उक्त सोसायटी में नियोजित प्राचेक व्यक्ति उक्त तारीख से उनी अवधि के लिए और सेवा की उन्हीं शर्तों, अथवा तत्पश्चात् अनुसूची तथा परिवर्तित परिस्थितियों में अनुहोष्य हों, विश्वविद्यालय का उसी प्रकार कर्मचारी हो जायेगा, जिस प्रकार वह ऐसी अधिसूचना जारी न किए जाने पर उक्त सोसायटी के अन्तर्गत होता है।

(४) गाँधी सरकार, गजपत में अधिसूचना द्वारा—

(क) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ख) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र कम कर सकेगी; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर सकेगी;

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना, सिवाय राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के पूर्वानुमोदित संकल्प के जारी नहीं की जायेगी।

(५) इस आरा के अधीन किसी अधिसूचना में अनुसूची और ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने वाले विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के अधिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का संशोधन करने के लिए ऐसे उपबन्ध हो सकेंगे, जो अधिसूचना के उपबन्धों को प्रभावित करते हैं। और तत्पश्चात् अनुसूची तथा परिवर्तित परिस्थितियों में नियोजित प्राचेक व्यक्ति उक्त उपबन्धों के लिये उत्तराधिकारी हो जायेगी, जिस प्रकार वह ऐसी अधिसूचना जारी न किए जाने पर उक्त सोसायटी के अन्तर्गत होता है।

(६) गाँधी सरकार, गजपत में अधिसूचना द्वारा—

(क) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ख) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र कम कर सकेगी; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर सकेगी;

(७) इस आरा के अधीन किसी विश्वविद्यालय के राजस्त्रीकृत स्नातकों द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के राजस्त्रीकृत स्नातक बने रहने अथवा किसी नए स्थापित विश्वविद्यालय में राजस्त्रीकृत करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उपबन्ध, किन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय का राजस्त्रीकृत स्नातक नहीं होगा;

(८) ऐसे अन्य अनुप्रयुक्त आवृत्तिगत उपबन्ध;

(९) व्यापक रूप से उक्त सोसायटी के विशेषाधिकार विश्वविद्यालय के राजस्त्रीकृत विविधान अधिनियम, १८८० के अधीन राजस्त्रीकृत काशीविद्यापीठ नामक सोसायटी द्वारा स्थापित और प्रशासित है, जिसके सम्बन्ध में उक्त सोसायटी की नियोजक सभा ने २८ मई, १९७२ को यह अनुप्रयुक्त करते हुए एक संकल्प पारित किया था कि राज्य सरकार उक्त संस्था की सम्पूर्ण जंगम और स्थावर संपत्तियों को ब्रह्मण कर ले और उसे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दे।

(१०) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यकाल उपबन्ध के विकल्प (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी-विद्यापीठ से भिन्न) प्राचेक विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अनुसूची में उक्त सोसायटी के सम्बन्ध में विनियमित किया जा सकेगा।

(११) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान में नियोजित किसी अध्यापक को मान्यता नहीं

प्रदान करेगा।

परन्तु विश्वविद्यालय सम्बद्ध सरकार की तिकारिया के बिल—

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान में नियोजित किसी अध्यापक को मान्यता नहीं

(१) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय या उसके द्वाग अनुग्रहित किसी घटक महाविद्यालय अथवा किसी संस्थान का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मसाला तथा उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा संचालित या कार्रवाई गई परीक्षा, अव्यापन-कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रशासन तथा क्रियान्वयन से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जीवन करने का अधिकार होगा।

(२) जारी राज्य सरकार उपचारा (१) के अधीन कोई निरीक्षण या जीवन करने का निष्पत्ति करे, तो वह उसकी सूचना कुलसंचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देंगी, और ऐसे निरीक्षण या जीवन में परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकता है।

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जीवन में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विचारवासी के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अधिकार करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(३) उपचारा (१) के अधीन निरीक्षण या जीवन करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन फिरी वापर पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित करने के लिये दस्तावेज़ों और सारावान् वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त वाच्य करने के प्रयोजनार्थ जाए हैं और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को टाई श्रिक्या संहिता, १९७३ की धारा ३४५ और ३४६ के अर्थात् नार्गत सिविल न्यायालय समझौता जायेगा। और उसके द्वारा कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, १८६० की धारा १९३ और २२८ के अर्थात् नार्गत न्यायिक कार्यवाही समझौती जायेगी।

(४) ग्रन्थ सरकार ऐसे निरीक्षण या जीवन के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी, और कुलपति, ग्रन्थ सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में ग्रन्थ सरकार नियत करे, उसे कार्यपरिषद् को संमूलीकृत करेगा।

(५) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे ग्रन्थ सरकार नियत करे, उसे ग्रन्थ सरकार को सलाह कार्यपरिषद् को संमूलीकृत करेगा।

(६) यदि विश्वविद्यालय के अधिकारी उचित समय के भीतर ग्रन्थ सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे, तो ग्रन्थ सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के अधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगी, जिसे वह ठांक समझे और विश्वविद्यालय के अधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए वाच्य होंगे।

(७) ग्रन्थ सरकार कुलपतिपति को, उपचारा (१) के अधीन कराये गये निरीक्षण या जीवन की ओर उपचारा (५) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संस्कृता की और उपचारा (६) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निर्देश की ओर ऐसे निर्देश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक परिषेद् या जानकारी की प्रतीक्षा भी भेजेगा।

(८) उपचारा (६) के उपचारन्यों पर प्रतिकूल प्रभाव दाले जिना, यदि कुलपतिपति की, उपचारा (७) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज़ या सामग्री पर, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के आधारमें होने के पूर्व की गयी किसी जीवन की कोई रिपोर्ट भी है, विचार करने के पश्चात् वह ग्रन्थ हो कि कार्यपरिषद् अर्थात् कूलपति का पालन करते हैं अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुपयोग किया है, तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् वह आदेश दे सकेगा कि उक्त अधिकारी को अतिरिक्त करते हुए कुलपतिपति तथा उस से अधिक व्यक्तियों से, जिसके अन्तर्गत कार्यपरिषद् का कोई सदस्य भी है, गठित एक तर्वर अपनी अधिकारी के लिए और उपचारा ११ के उपचारन्यों के अधीन रहते हुए जिसे कुलपतिपति समय-समय पर लिखित दर्शाएँ करें, इस अधिनियम के अधीन कार्यपरिषद् की संरचना पर धारा २० की कोई बात लागू न होगी।

(९) उपचारा (८) के अधीन गठित तर्वर कार्यपरिषद् की संरचना पर धारा २० की ओर ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी हैं, पदावधि समाप्त हो जावेगी और ऐसे सभी सदस्य हस्त रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

(१०) उपचारा (८) के अधीन आदेश दिये जाने पर, उससे अतिरिक्त कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी हैं, ग्रन्थवाचिकी वाले जावेगी।

(११) उपचारा (८) के अधीन कियी आदेश के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति से धारा २० के उपचारन्यों के अनुसार एक नई कार्यपरिषद् गठित की जावेगी।

(१२) उपचारा (८) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति से धारा २० के उपचारन्यों के अनुसार एक नई कार्यपरिषद् गठित की जावेगी—

(१३) उपचारा (८) के पक्षात् निम्नलिखित उपचारा अन्तःस्पापित समझौते जायेगी—

“(६) कार्यपरिषद् का अधिवेशन प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार होगा।”;

(ख) धारा २१ की उपचारा (१) में “इस अधिनियम के उपचारन्यों के अधीन रहते हुए” शब्दों के पश्चात्, “तथा कुलपतिपति के भी नियन्त्रणालैन रहते हुए” शब्द अन्तःस्पापित समझौते जायेगा।

(ग) धारा २४ की उपचारा (२) में, “और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्येता पर” शब्दों का लोप कर दिया जायेगा।

(१४) उपचारा (८) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति से धारा २० के उपचारन्यों के अनुसार एक नई कार्यपरिषद् गठित की जावेगी।

(१५) इस अधिनियम के उपचारन्यों के अनुसार जैसा कि वे उपचारा (११) के उपचारन्यों के कारण उपचारन्यों के कुलपति उपचारा (८) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में बनाया गया कोई परिनियम, अध्यावास, विनियम या किया गया आदेश, ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर भी, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा, जब तक कि इस अधिनियम के उपचारन्यों के अनुसार संशोधित, निरसित या विख्यापित न कर दिया जाए।

तथ्याचार्य ४-क

समन्वय परिषद् और केन्द्रीय

अध्ययन बोर्ड

१८क.१ (१) एक समन्वय परिषद् होगी, जिसका अध्यक्ष कुलपतिपति होगा और उसमें निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्—

(एक) समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति;

(दो) उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षा परिषद् का अध्यक्ष;

(तीन) ग्रन्थ सरकार के न्याय विभाग का सचिव;

(चार) ग्रन्थ सरकार के वित्त विभाग का सचिव;

(पांच) राज्यपाल का सचिव;

(छ) राज्य सरकार के उच्च विधायिका का सचिव, जो समन्वय परिषद् का पदेन सचिव होगा।

(२) विश्वविद्यालय अनुदान आवेदन की सिफारिसों या उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुये समन्वय परिषद् की

शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगी, अर्थात्—

(क) स्थानक उपचारि के लिये अध्यापन के सामान्य प्राक्कलन की सिफारिस करना;

(ख) आधारभूत पाठ्यक्रम के लिये वा प्रत्येक विषय या विषयों के समूहों के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन के

समन्वय में सिफारिस करना;

(ग) विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग के उपायों और साथयों की सिफारिस करना;

(घ) विश्वविद्यालयों के सामान्य हित के लिये वा प्रत्येक विषय या विषयों के समूहों के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन के

समन्वय में सिफारिस करना;

(३) समन्वय परिषद् की लैंचिंग विषय या विषयों के समूहों के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के सिफारिस करना;

१८ख.१ (१) आधारभूत पाठ्यक्रम या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा कुलपतिपति विनियम विनियम करने के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड होगा।

(२) आधारभूत पाठ्यक्रम के केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

(एक) प्रत्येक विश्वविद्यालय के उपचार्य के अनिम्न पद का एक अध्यापक या सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय का प्राचार्य,

जिसे कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, और

(दो) पांच शिक्षाविद् को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आवेदन के प्रतिलिपि आवायों की सूची में हों, जिन्हें समन्वय समिति

की सिफारिस पर कुलपति होगा जायेगा।

(३) अन्य विषयों वा विषयों के समूहों के समन्वय में निम्नलिखित होंगे—

(एक) विषय या विषयों के समूहों के समन्वय में निम्नलिखित विनियम करना;

परन्तु यह कि वाई किसी विश्वविद्यालय में विषय या विषयों के समन्वय में अध्ययन बोर्ड न हो, तो कुलपति विश्वविद्यालय

में उपचार्य के स्थान पर सिफारिस करना;

(दो) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर तक विषय या अध्यापन करने वाला एक विभागाध्यक्ष, जिसे

कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(तीन) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय में स्नातक स्तर तक विषय का अध्यापन करने वाला एक विभागाध्यक्ष, जिसे कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(चार) विषय के तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिचित अध्यापकों की सूची में हों, जिन्हें समन्वय समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, और

(पाँच) राज्य के बाहर से विषय के दो अन्य विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(४) कुलाधिपति केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे—

(ए) आचारमूल पाठ्यक्रम के लिए उपचारा २ के खण्ड (एक) में दिये सदस्यों के नाम से तथा,

(ब) अन्य विषय या विद्यों के समूह के लिए उपचारा २ के खण्ड (एक) और (दो) में दिये गये नामों में से।

(५) केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन और पटेन सदस्यों से मित्र उसके सदस्यों के नाम-निर्देशन को राज्य सकारा द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(६) केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की अधिकारिय उपचारा (५) में निर्दिष्ट अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी और सदस्यों की पदावधि केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की अधिकारिय के साथ समाप्त होगी।

परन्तु यह कि किसी आकामिक विकास को भरने के लिये नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके पूर्ववर्ती की शेष पदावधि तक के लिए ही होगी।

(७) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों या उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुवे, केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के कुलाधिपति होंगे, अर्थात्—

(क) समन्वय परिषद् की सिफारिशों और कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यक्षीय अध्ययन, और परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों, और शैक्षिक केलेंडर नियंत्रित करना और स्नातक पूर्व-स्तर के लिये पाठ्यक्रमों और अन्य पुस्तकों की सिफारिश करना,

(ख) समन्वय परिषद् या कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय पर विचार करना और रिपोर्ट देना, और

(ग) इस अधिकारिय के संगत ऐसे अन्य कृत्यों का सम्बन्ध ऐसे समय के भीतर करना, जो कुलाधिपति के लियाँ अद्वितीय आदेश द्वारा सम्बन्ध करने की अपेक्षा की जाय।

(८) अपने कृत्यों का अनुपालन करने में केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड ऐसे विशेषज्ञों से भी परामर्श कर सकता है, जो उसके सदस्य नहीं हैं।

(९) कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के समन्वय में उस दिनांक से प्रवृत्त होंगी, जो कुलाधिपति द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(१०) कुलाधिपति किसी भी समय केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के किसी विनिष्क्रिय को इस आवार पर निलम्बित, उपालंबित या संरोचित कर सकता है कि यह इस धारा में दिये गये उद्देश्यों को पूर्ति नहीं करता है और विषय पर नवे सिरे से विचार करने के लिये बोर्ड को निर्देश दे सकता है।

१८ ग. उत्तर प्रदेश राज्य उच्च उच्च शिक्षा परिषद् अध्यादेश, १९९५ के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च उच्च शिक्षा परिषद्, समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड को सचिवाचीय सहायता देनी।

अध्याय-५,

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे—

१९. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे—

(क) कार्यपरिषद्

(ख) सभा

(ग) विद्यार्थिय

(घ) वित्त समिति,

(ङ) संकायों के बोर्ड, यदि कोई हो,

(च) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समितियाँ

(छ) प्रबोध समिति,

(ज) परीक्षा समिति, और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जायं।

२०. (१) कार्यपरिषद् में निम्नलिखित होंगे—

(क) कुलाधित जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ख) प्रति-कुलाधित, यदि कोई हो,

(ग) दो संकायों के संकायाध्यक्ष, विहित रीति में चक्रानुक्रम से;

परन्तु जब तक कि विश्वविद्यालय में संकायों का गठन न हो जाय, दो संकायों के संकायाध्यक्षों के नियंत्रण को दो विभागों के विभागाध्यक्षों का नियंत्रण होंगा।

(ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य;

*१(च) (१) प्रति-कुलाधित से अपवाह उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से मित्र विश्वविद्यालय का एक आचार्य, एक उपाचार्य तथा एक प्राधिकारिक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है, और

(२) खण्ड (ब) के उपवर्णों के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य तथा एक अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है।

*२(घ)

*३(ङ)

(च) सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से दोनों गये चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अध्यक्ष छात्र निवास हाल या छात्रावास में छात्र के रूप में नामावलोगत न हों या की सेवा में न हों।

(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट रिशांग-क्षेत्र में वित्तीय विविध वर्षों

(परन्तु इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो रहा हो)

(ज) उपशिक्षानिदेशक (संस्कृत) उत्तर प्रदेश, और

(झ) विश्वविद्यालय के अनुसन्धान संस्थान के निदेशक तथा पुस्तकाध्यक्ष आनुकृतिक पदावधियों में, जिसमें प्रबन्ध पदावधि में उक्त निदेशक पद धारण करेगा,

(ञ) धारा (५) के परन्तु में निर्दिष्ट आयुर्वेदिक नहाविद्यालय के प्राचार्यों।

४(२) उपचारा (१) के खण्ड (ग), (गा)५ तथा (घ) में उत्तर्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी और उसके खण्ड (च) तथा (झ) में उत्तर्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(३) कोई भी व्यक्ति, उपचारा (१) के खण्ड (च) और (झ) के अधीन, कार्यपरिषद् का लगातार दो से अधिक पदावधि के लिये सदस्य न होगा।

(४) उपचारा (१) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में तब तक निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट न हो किया जायेगा, जब तक कि वह स्नातक न हो।

५स्पृष्टीकरण : इन आयोग के प्रयोजनार्थ प्रदानकारक के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसने विश्वविद्यालय या ग्रजकोय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित शास्त्री परोक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा उसके समकक्ष सान्ध्यवाक्यान्वयन कोई परोक्ष उत्तरांशी हो।

(५) कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनहो गो, यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष उसके निमित्त किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक अध्यक्ष विश्वविद्यालय को माल शपथ करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है।

परन्तु इस उपचारा की पालन करने के लिए अपवाह इकाई इकाई या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परोक्ष उत्तरांशी परोक्ष उत्तरांशी हो।

६१. (१) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की सुख्ख कार्यकारी होगी और उस अधिनियम के उपचारों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शास्त्रीय-

(ट) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा नियमों की आवाह करना और उन पर निवन्धन रखना,

(ग) विश्वविद्यालय की अंगम या स्थानकर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना,

(गग) परिनियमों तथा अध्यादेशों को बनाना, संरोचित करना या निरस्त करना,

- (.) विशिष्ट परियोजनों के लिए विश्वविद्यालयों के व्यवनाधिकार में रखी गयी किसी निवि का प्रशासन करना,
- (.) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना,
- (.) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार आवृत्तियों, अधिकारवृत्तियों, निर्वन आवृत्तियों, पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना, (.) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना, और उनके कर्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना, और उनके पदों की अस्थायी आकास्मिक पिछ़ियों को भरने की व्यवस्था करना,
- (.) परीक्षकों की फीस, उपलब्धियों तथा यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना,
- (.) धारा ३७ के उपबच्यों के अधीन रहते हुए किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा पहले से ही सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाया या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लैना या उसमें कठोर करना,
- (.) संस्थानों, सम्बद्ध, सहयुक्त और घटक महाविद्यालयों, आवृ-निवास, आवासाओं तथा छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निदेश देना,
- (.) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार तथा प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना,
- (.) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग तथा अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियोग मत तथा प्रवर्तित करना,
- (.) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार तथा अन्य सभी प्रशासकीय कार्य-कलायों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे,
- (.) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास तथा विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिशुल्कों में जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, अथवा भारत में स्थावर सम्पत्ति तब करने में विनियित करना और समय-समय पर ऐसे विनियान में परिवर्तन करना,
- (.) विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक घबरों, परिसरों, फर्नीचर तथा साधित और अन्य साधनों की व्यवस्था करना,
- (.) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और नियस्त करना,
- (.) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय तथा घटक, सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों की विनियमित और निर्धारित करना।

(२) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यपरिषद्, बन्धक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास कियाये पर देने के) न तो अन्तरण करेंगी और न सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहयुक्त अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूरी मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूत पर कोई धन उधार या अधिम लेंगी।

(३) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो, और सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के १ अथवा सिवाय राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय में सुजित नहीं किया जाएगा।

(४) राज्य सरकार के कार्यपरिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक का स्वीकृत संलग्न के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सुजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में शारीर महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन बढ़ावां अंजित कर सके और भविष्यनिधि में अंशदान कर सके और सेवानिवृत्ति के लाए, यदि कोई हो, जाप कर सके।

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय या कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते वही होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(५) कार्यपरिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती तथा आनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से आधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(६) विद्यापरिषद् और सम्बद्ध संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्यपरिषद्, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संटेक फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(७) कार्यपरिषद् सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्बद्ध रूप से विचार करेंगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेंगी, जिसे वह ठीक समझे और सभा को व्यास्थित की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देंगी।

(८) कार्यपरिषद् परिनियमों में अधिकायित किसी शास्त्रों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेंगी।

२२. (१) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

वर्ग १-पदेन सदस्य

- (.) कुलाधिपति,
- (.) कार्यपरिषद् के सदस्य,
- (.) वित्त अधिकारी,

१(क) निरेक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश।

वर्ग २-आजीवन सदस्य

(.) किसी विद्यामान विश्वविद्यालय की दशा में प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सभा या नियामक सभा (सोनेट) का आजीवन सदस्य था।

वर्ग ३-अध्यापकों आदि के प्रतिनिधि

- (.) विश्वविद्यालय तथा उसके द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष,

१(१)

२(१)

३(१)

- (.) पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रोति से चयन किया जाना है,

४(१)

वर्ग ४-रजिस्ट्रीकृत स्नातक

५(१) ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के, जिनके पास कम से कम आचार्य की उपाधि हो, दस प्रतिनिधि, जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा जो विहित की जाय, अपने में से अनुपाती श्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकलसंक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

वर्ग ५-छात्रों का प्रतिनिधित्व

६(१) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती शास्त्री परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में आचार्य परीक्षा के लिये शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो :

परन्तु जब तक कि किसी संकाय का गठन न हो जाय, दो छात्र जो विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती शास्त्री परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में आचार्य परीक्षा के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हों, इस खण्ड के अधीन सभा के सदस्य होंगे।

(०) विधान-परिषद् द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य,

(०) विधान-सभा द्वारा निर्वाचित उसके पांच सदस्य।

(२) उपधारा (१) में वर्णित सिवाय वर्ग १, २ और ५ के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी और उल्लंघन के ५ सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

२३. सभा एक सलाहकार निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगी, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों पर्व उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिये उपायों का सुझाव देना,

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा उनकी संप्रीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायें, सलाह देना, और

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा कुलाधिपति द्वारा सौंपे जायें।

२४. (१) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख की होगा, जो कुलपति द्वारा नियत की जाती है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(२) कुलपति, जब कभी वह ठीक समझे, सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्येत्येष पर सभा का विशेष अधिवेशन बुलाएगा।

२५. (१) विद्यापरिषद्, विश्वविद्यालय की मुख्य विद्यानिकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए—

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसन्धान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरायी होगी और उसका नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं,

कार्यपरिषद् को सलाह दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियों तथा कर्तव्य होंगे, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किए जायें।

(२) विद्यापरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(०) कुलपति,

(०) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो,

(०) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और यदि विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो, तो सम्बद्ध संकाय

में उक्त विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्बद्ध महाविद्यालयों से ज्वेष्टित अध्यापक,

(०) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आवार्य जो विभागाध्यक्ष न हों,

(१) निदेशक, अनुसन्धान संस्थान

(२) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश

(०) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य, जिनका विहित रीति में चक्रानुक्रम से, चयन किया जाएगा,

(०) पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है,

(०) छात्र काल्याण के संकायाध्यक्ष

(०) विश्वविद्यालय के युस्तकाध्यक्ष और

(०) शिक्षा बोर्ड में प्रथमत पांच व्यक्ति, जो विहित रीति से सहयोगित किये जायेंगे।

'परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या-परिषद् में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या प्रथमत पांच व्यक्ति से सम्बन्धित कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित दो सदस्य विहित रीति से चक्रानुक्रम से नाम-निर्दिष्ट करेगा'

(३) आरा १६५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सदस्यों से पित्र सदस्यों की पदावधि वही होगी, जो विहित की जाय।

२६. (१) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे—

(क) कुलपति,

(२) क क क) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव,

(क) क क क) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव,

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो,

(ग) कुलसचिव,

(३) परीक्षा नियन्त्रक,

(घ) कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति, जो कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् का सदस्य या विश्वविद्यालय या किसी

संस्थान या घटक महाविद्यालय में सेवा करने वाला व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय की सेवा करने वाला व्यक्ति न हो, और

(ङ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

४(१) उपधारा (१) के खण्ड (क) या खण्ड (कक्ष) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति को किसी बैठक में स्वयं आग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(२) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा नियिकों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को व्याप में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कुल आर्थिक तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से, वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्यपरिषद् पर आवश्यक होगी।

(३) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियों तथा कर्तव्य होंगे, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जाय।

१(४) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्यपरिषद् इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्यपरिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो, तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो, तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका अनिश्चय अन्तिम होगा।

२७. (१) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो विहित किये जायें।

(२) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे, जो विहित किये जायें और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे, जो उसे अध्यादेश द्वारा संभीषण जायें।

(३) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियाँ और कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किये जायें।

*१(४) प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष होगा, जो आचार्यों में से, चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठतानुक्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

परन्तु यह कि किसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय की दशा में, ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य आयुर्वेद संकाय का पदेत संकायाध्यक्ष होगा।

परन्तु यह और कि ऐसे किसी संकाय की दशा में जहाँ कोई आचार्य न हो, वहाँ संकायाध्यक्ष का पद उस संकाय के अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से धारण किया जाएगा।

(५) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह—

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्यों के संगठन तथा संचालन, तथा

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्बद्ध पालन के लिये उत्तरदायी होगा।

१(६) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति, जो इस उपचारा के ग्राम्य होने की तारीख के ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन्हीं शर्तों तथा नियमों पर पद धारण किये रहेगा, जिन पर उक्त तारीख के ठीक पूर्व धारण किये हो।

(७) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जायें।

(८) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जावेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय संभीषण करेंगे।

२८. (१) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में होगा।

(२) प्रवेश समिति को उत्तरी उपसमितियाँ नियुक्त करने की शक्ति होगी, जितनी वह ठीक समझे।

(३) विद्यापरिषद् के अधीक्षणाधीन तथा उपचारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले नियमों या प्रतिमानों को अधिकारित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान या घटक महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश शायिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या उप-समिति को भी नाम-निर्दिष्ट कर सकेगी।

(४) उपचारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति ग्रन्थ सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों में और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये मापदण्ड या रीति (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) के सम्बन्ध में कोई नियंत्रण दे सकेगी और ऐसे नियंत्रण पर आवश्यक होंगे।

२(५) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी—

(३क) किसी विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये प्रवेश के लिये ऐसे आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस नियमित बनाये, परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षण किसी पाठ्यक्रम में स्थानों की कुल संख्या के प्रत्यासंकेत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण संबंधित के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के मामले में लागू नहीं होगा।

(ख) मेडिकल और इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों में, और शिक्षा या आयुर्वेदिक और बूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा (जिसे आवश्यक होने पर भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा सकेगा, किन्तु १ जनवरी, १९७९ के पूर्व से प्रवासी नहीं होगा) विनियमित होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उस नियमित बनाये :

परन्तु इस उपचारा के अधीन प्रवेश के विनियमन का कोई आदेश अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से असंगत न होगा।

१(८) खण्ड (क) के अधीन कोई आदेश बनाने में ग्रन्थ सरकार नियंत्रण दे सकती है कि कोई व्यक्ति, जो इस आदेश का उल्लंघन करने या उसके प्रयोजनों को विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है, तो वह तीन मास से अनधिक की अवधि के लिये कारावास से या एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से, जैसे आदेश में विनियमित किया जाय, दण्डनीय होगा।

२(५क) उपचारा (५) के खण्ड (क) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश विधाशीर्ष ग्रन्थ विभान मण्डल के दोनों सदस्यों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-की उपचारा (१) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे कि वे किसी उत्तर-प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

(६) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, और ऐसा उल्लंघन करके दिए गए किसी प्रवेश को रद करने की कुलपति की शक्ति होगी।

२९. (१) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जो अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में गठित की जाएगी।

(२) धारा ४२ की उपचारा (२) में यथा उपबन्धित के सिवाय, समिति साधारणता विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारांशकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कार्यों का पालन करेगी, अर्थात्—

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाना,

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या-परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्यापरिषद् से सिफारिश करना,

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्थापित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(३) परीक्षा समिति उत्तरी उप-समितियों नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह ठीक समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साथों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

१(४) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या, वयस्थिति, किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिये, जिसे परीक्षा समिति ने उपचारा (२) के अधीन इस नियमित अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवरित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी गति में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साथों का उपयोग करने का दोषी है।

३०. विश्वविद्यालय के अन्य प्रायिकारियों का गठन, उनकी शक्तियों तथा कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किए जायें।

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

३१. *१(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापक एक चयन समिति की सिफारिश पर कार्यपालिका द्वारा एतत्प्रश्नात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापक विहित रीति से नियुक्त किये जायेंगे (चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी, जितनी आवश्यक हो)***।

(२) प्रत्येक ऐसे अध्यापक, निदेशक तथा प्राचार्य की नियुक्ति, जो उपधारा (३) के अधीन की गई नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परिवेश पर होगी, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु परिवेश की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा-समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि—

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टें पर विचार करने के पश्चात् कार्यपालिका आदेश न दे दे;

(ख) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में, प्रबन्ध समिति आदेश न दे दे, और

(ग) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अन्य अध्यापक की दशा में, प्राचार्य और उस विषय के ज्येष्ठतम् अध्यापक (जब तक कि ऐसा अध्यापक, उस विषय का ज्येष्ठतम् अध्यापक न हो) की रिपोर्टें पर भी विचार करने के पश्चात् प्रबन्ध समिति आदेश न दे दे;

१ परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को, प्रस्तावित सेवा-समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये जिना, सेवा-समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा;

परन्तु यह भी कि यदि, यथास्थिति, परिवेश की अवधि या बढ़ायी गयी परिवेश की अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाव, तो परिवेश की अवधि तब तक के लिये बढ़ जायेगी, जब तक कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कार्यपालिका अनियम आदेश या, यथास्थिति, जब तक कि धारा ३५ के अधीन कुलपति के अनुमोदन की संसूचना सम्बद्ध अध्यापक को न दी जाव।

(३) *२(क) आचार्य से फिर विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो, और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किये जिन दस मास से अनधिक की कालावधि के लिये स्थानापन नियुक्त कर सकते हैं, किन्तु किसी अन्य रिक्ति या पद, जिसको छ: मास से अधिक की कालावधि के लिए होना सम्भाव्य हो, ऐसे निर्देश के जिन नहीं भरेंगे।

१(ख) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो, जिसके छ: मास से अधिक चलने की सम्भावना रही हो औं जिस पद को बाद में स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो या किसी स्थायी पद पर ऐसे रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदवारी को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाव, या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव-सूचित हो जाय, वहाँ यथास्थिति, कार्यपालिका या प्रबन्धतन्त्र, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनियोग नहीं करता, तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिकारी रूप से, चयन समिति को निर्देश के जिन नहीं भरेंगे।

परन्तु यह भी कि यदि उस पद के लिए विहित अर्हतायें आवण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिकारी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक, जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि-पर्यन्त लगातार काम किया हो, एक वर्ष की अवधि के लिये परिवेश पर रखा जायेगा, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है, और यदि उसी विभाग में, उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक—

(एक) ३१ दिसम्बर, १९९७ को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के रूप में ३१ दिसम्बर, १९९७ को या उससे पूर्व अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये जिन की गयी थी, कार्यपालिका द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में, उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक—

(एक) ३१ दिसम्बर, १९९७ को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक से निरन्तर कार्य कर रहा हो,

(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखता हो;

(तीन) कार्यपालिका द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपबन्ध पाया गया हो,

ऐसा कोई अध्यापक, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है, ऐसे दिनांक को, जैसा कार्यपालिका विनिर्दिष्ट करे, ऐसा पद आवण नहीं भरेगा।

(४) (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक (किसी संस्थान के निदेशक और घटक महाविद्यालय के प्राचार्य से फिर) की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(१) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(२) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा, जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके अधिकारी पद से पूर्ण में ऊचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग में आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है, तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा;

१ परन्तु यह भी कि जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुके अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करते जा निर्देश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझँ;

(३) किसी आचार्य या उपाचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे,

*२(१)

(४) किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, यथास्थिति, संस्थान का निदेशक या घटक महाविद्यालय का प्राचार्य।

(ख) संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(१) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(२) दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे।

*३(१)

*४(१)

(५) प्रत्येक यात्रा-विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्त्वानी संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या-निकायों या अनुसन्धान संस्थाओं से जिन्हें कुलाधिपति आवश्यक समझँ; परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनायेगा। उपधारा (४) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा, जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

*५(१)

*६(१) खण्ड (क) में निर्दिष्ट, कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

(ब) व्यास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति, चयन समिति में अपने नाम-निर्देशितयों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपचारा (४) के अधीन अपेक्षित हैं; विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकता। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिकारी न हो, तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नहीं होता।

समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।
स्पष्टीकरण—(१) इस उपचारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को, जिससे स्नातकोत्तर उपाधि अवश्य उसके भाग १ या २ के लिए पृथक् पाठ्य-क्रम विहित हो, पृथक् पाठ्य-विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—(२) जहाँ चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य-विषय के लिए हो, तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य-विषय का हो सकता।

(६) उपचारा (४) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

(७) उपचारा (६) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी। *डपरन्तु आचार्य या उपचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ समिलित होंगे—।

१(७-क) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करे।

(८) (क) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो, तो कार्यपरिषद् उस मामले को ऐसे असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अनित्य होगा :

१परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद् चयन समिति के अधिकारी न हो, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अनित्य होगा।

२(क छ) जहाँ खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यपरिषद् द्वारा विनिश्चय करने की विफलता कार्य- परिषद् के किसी दोष के कारण न हो, तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् से ऐसे समय के भीतर जैसा कुलाधिपति समय-समय पर अनुमति दें, विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकता है और कुलाधिपति को इस प्रयोजन से कार्यपरिषद् को बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है।

परन्तु (१) यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो कार्यपरिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अनित्य होगा।

(२) यदि कार्यपरिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमति समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है, तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अनित्य होगा।

*३(ख)

*१(९) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समिति में विचार-विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(१०) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक वह रिक्त कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय, जिनका उत्तर-प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

*२(१)

(११) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कार्यपरिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, या प्रबन्धतन्त्र कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के पद पर, प्रतिनियुक्त पर, किसी सरकारी सेवक को नियुक्त कर सकता है, जो पद के लिये विहित अर्हताएँ रखता हो।

(१२) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ का प्राचार्य उपचारा (४) के खण्ड (ख) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उक्त कालेज के आचार्यों में से नियुक्त किया जायेगा और उपचारा (१०) के उपबन्ध ऐसे चयन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

१३-क. (१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में धारा ३१ के अधीन मौतिक रूप से नियुक्त किसी प्राच्यापक या उपचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जाँच, क्रमशः उपचार्य वा आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

(२) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा ३१ की उपचारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाँच, दी जायेगी।

(३) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा ३१ के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा।

२१-क. २(१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन वा दन्त विज्ञान संकाय में मौतिक रूप से नियुक्त किसी सहायक आचार्य को या उक्त विश्वविद्यालय के उक्त संकाय में मौतिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नति किसी सह-आचार्य की, जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जाँच, सह-आचार्य वा आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

(२) उपचारा (१) के अधीन पदोन्नति, धारा ३१ की उपचारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाँच, दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन वा दन्त विज्ञान संकाय के सम्बन्ध में धारा ३१ की उपचारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शब्द 'उपचार्य' का अर्थ 'सह-आचार्य' होगा।

१(३) इस अधिनियम की किसी अन्य व्यवस्था में या उपचारा १ या २ में निहित किसी भी तथ्य के बाबजूद उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तुतीय संशोधन) अधिनियम, १९९९ के प्रारम्भ की तिथि से सेवा में कार्यरत और राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या ८४२/१५-१०-१७-११ (७)/१६, दिनांक ११ अप्रैल, १९९७ के अनुसार, उपचारा १ में उल्लिखित संकाय में प्रोत्रत किया गया प्रत्येक व्यक्ति शोन्ति की तिथि से उपचारा-१ के अधीन प्रोत्रत हुआ माना जायेगा।

३१-ख. २(१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उत्तर-प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, १९८० में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, मौतिलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य वा अध्यापक के पद पर नियुक्त मौतिलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी, इलाहाबाद के नियमों और उपर्याखों के अनुसार की जायेगी।

(२) उत्तर-प्रदेश गज्ज विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९८ के प्रारम्भ के पूर्व उपचारा (१) के उपबन्धों के अनुसार की गयी समस्त नियुक्तियाँ उत्तर उपचारा के अधीन की गयी समझी जायेंगी, मानो उत्तर उपचारा के उपबन्ध सारांश समय पर प्रवृत्त हो।

३२. (१) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई वैतानिक अधिकारी और अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के, जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होंगी, नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(२) मूल संविदा कुलसंचिव के पास रखी जायेगी और उसको एक प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारी वा अध्यापक को दी जायेगी।

(३) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व नियोजित किसी अधिकारी वा अध्यापक की दशा में, इस प्रकार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व ब्रूहत् सभी संविदाएँ, उत्तर विस्तार तक जहाँ तक वे इस अधिनियम वा परिनियम और अध्यादेशों के उपबन्धों से असंगत हों, उत्तर उपबन्धों द्वारा उपबन्धित समझी जायेंगी।

(४) किसी संविदा या अन्य लिखित के अन्तर्भूत किसी बात के होते हुए भी किसी घटक चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यापकों को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और नियन्त्रणों के अधीन रहते हुए जैसा गज्ज सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ग्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

३३. विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अपने अधिकारियों; अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, १२० राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य-निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत एक ऐसी निधि भी है, जिससे ऐसे अध्यापकों या व्याचारस्थित उनके उत्तराधिकारियों को उत्तर-प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, १९६५ में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीनस्थ या अन्तर्राज्यिक के रूप में अपने कर्मचार्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में नियंत्रण, आहत, या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जायेगा।

३४. (१) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या जातहुकूम महाविद्यालय के अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से प्रिय किसी निकाय हारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किये गये किसीही कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के सम्बन्धी शार्टे १ वाही होंगी, जो विहित की जाय।

(२) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध वा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक, अध्यापन सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों से प्रियंका कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद वारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—‘पारिश्रमिकीय पद’ शब्दों के अन्तर्गत द्वात्र-निवास अथवा द्वात्रावास के बार्डन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रोडाधीक्षक, पुस्तकालेखक और नेशनल कैरिएटर कोर, यजकीय खेलकूद संगठन, ग्रामीय समाज सेवा स्कॉल तथा विद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई पद भी है।

*३५. सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें वही होंगी, जो विहित की जायें

३६.* ११) आरा ३२ में निर्दिष्ट किती नियुक्ति-संविदा से उत्तरे वाला कोई विवाद मात्र्यस्थम् अधिकारण को निर्दिष्ट किया जावेगा, जिसमें कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कृताधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य

(जो संयोजक का काम करेगा) होगा।

निकाय उपचारों (१) के उपबचन्यों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा और अधिकारण के समक्ष कार्यवाहियाँ उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती हैं, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(३) अधिकरण का विनियम्य अन्तिम और पक्षार्थी पर आवश्यक होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।
(४) माध्यस्थम् अधिकरण की निम्नलिखित शर्तों होंगी :—

(र) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;
 (ग) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उन्हें

(५) माध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्ति किसी विषय में अन्तर्विष्ट कोई वात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् पर लागू न होगी।

(६) किसी न्यायालय में कोई बात या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जायेगी, जो उपचारा (१) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो।

परन्तु उधारा (३) में निर्दिष्ट अधिकारण का प्रत्येक विनियमचय प्रादेशिक अधिकारिता युक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा, मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिशी हो।

ଅନ୍ଧାର-୭

ଅନ୍ତର୍ବାସ-୧୯

३४५

१२७. (१) यह धारा आगरा, गोरखपुर, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों और (लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों से पित्र) ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों पर लाग रही है। जिसमें गणजन संकाय गणजन से अधिसचिव द्वारा विनिर्दित करे।

*२(२) कार्यपरिषद् सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उपचारा (C) के उपचर्यों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कठीन कर सकेगी।

१०५

(३) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिये, उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसन्धान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिवर्पन होगा।

(४) इस अधिनियम द्वारा यथा उपलब्धित के सिवाय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र, महाविद्यालय के कार्य-कलाओं का प्रबन्ध और नियन्त्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधिक्षण तथा नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य विशिष्टाईयाँ प्रस्तुत करेगा, जिनके कार्यपरिवर्ष या कल्पति मार्गे

(६) कार्यपरिषद्, प्रत्येक सम्बूझ महिलालय का, अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर, पाँच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर, निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को भेजी जायेगी।

(७) कार्यपालिका इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश दे सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(c) कार्यपरिषद् द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपचारा (७) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी निदेश का अनुपालन करने में अवधा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धातान् से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से परिणयमों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

(१९) उपचारा (२) और (८) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धन तत्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है, तो कुलाधिपति प्रबन्धन तत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विरोधिकार को बापस ले सकेंगे या उसमें कमी कर सकेंगे।

२(१०) 'इस अधिनियम के किन्होंने अन्य उपबच्चों में किसी प्रतिकूल वात के हात से बचा था, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संसाधन)

जायन्त्रणम्, २००३ के प्रारंभ के बूँदें नहावडाला अलंकार, जिस परत ही किसी विनाशक अवधि के लिए विनाशक विषय के मालिक विनाशक अवधि समझदार प्रदान कर दी गयी हो, अवधन के लिए प्रबोध पहले ही हो गये हों, जारी रखने के लिए हक्कदार होगा; परन्तु ऐसा कोई समाजशाली व्यापार (१) के अस्तीति सम्भव नहीं किये जाना चाहिए जैसा व्यापार के समय अन्त में किये जाने वाले प्रयोग

एसा काइ नहावद्धालय उपराहा (२) के अधान सम्बन्धता प्राप्ति किये जाना अव्यवस्था कोमा।

३८. (१) यह धारा लक्षणकूल और इलाहाबाद विधि-विद्यालयों तथा (आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ अथवा सम्युर्णानन्द संस्कृत विधि-विद्यालय से पित्र) ऐसे अन्य विधि-विद्यालयों पर लाग जाएगी। जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसचना द्वारा चिनिए हैं।

(२) सहयुक्त महाविद्यालय वही होंगे, जो प्रणियतमो द्वारा नामित किये जाय।
 (३) किसी सहयुक्त महाविद्यालय के लिये किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय या महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य में सहयोग

(४) किसी सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता को शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जायेंगी, अथवा कार्यपरिषद् द्वागे अधियोगित की जायेंगी; किन्तु किसी सहयुक्त महाविद्यालय को, कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना स्नातकोत्तर उपाधि के लिये स्नात्कण देने के लिये प्रायिकत नहीं किया

परन्तु यदि किसी सहयुक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर उपाधि के लिये शिक्षण देने के लिये मान्यता देने से उन्हार किया जाय, तो धारा ५ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे महाविद्यालय को, कुलाधिपति के अनुमोदन से आगे ३७ में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता दी जा सकेगी और तदुपरान्त ऐसे महाविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय न रह जायेगा।

(५) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सहयुक्त महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय के कावों का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण करने के लिये स्वतन्त्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होगा। प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिण्यन् पर अधोधण तथा नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) कार्यपरिषद् प्रत्येक सहयुक्त महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर, तीन वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर, निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को भेजी जायेगी।

(७) यदि कार्यपरिषद् जो यह समाधान हो जाय कि किसी सहयुक्त महाविद्यालय ने मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा उसने इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अथवा कार्यपरिषद् द्वारा उसके काम में बताई गयी किसी त्रुटि को दूर करने में निरन्तर व्यतिक्रम किया है, तो वह कुलाधिपति की पूर्व नंजूरी से और प्रबन्धतन्त्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता बापस ले सकेगी।

(८) 'इस बारे में या धारा ५ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी विश्वविद्यालय के, जिस पर यह बाय लागू होती हो, खेत्र में स्थित किसी सहयुक्त महाविद्यालय को ऐसे निर्देशों के अधीन रहने हुए जो गाज़ सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जाय, किसी ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा जिस पर आगे ३७ लागू होती हो, सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकेगा।'

(९) कोई भी व्यक्ति, (केवल गाज़ सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निर्धारित होगा, यदि वह अथवा उसका सम्बन्धी ऐसे महाविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अध्यवा

ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए अथवा उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए कोई संचिदा स्वीकार करता है : परन्तु इस धारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या महाविद्यालय के किसी छात्रनिवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटोर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा महाविद्यालय के सम्बन्ध में तत्संदर्श किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण—पद 'नातेदार' का वही अर्थ होगा, जो उसके लिये धारा २० के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

(१०) (१) गाज़ सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गई परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन अथवा निरीक्षण या जाँच कराने का अधिकार होगा।

(२) यदि गाज़ सरकार उपचारा (१) के अधीन निरीक्षण या जाँच कराने का निश्चय करे, तो वह उसको सूचना प्रबन्धतन्त्र को देगी और प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि अथवा व्यक्ति द्वारा जैसा वह निर्देश दे, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे विशेषण के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(३) उपचारा (१) के अधीन निरीक्षण या जाँच कराने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी बाद पर विचार करते समय शायर पर सास्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिये तथा दस्तावेजों और सारान् वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के प्रयोजनार्थ त्रिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९१८ की आगे ४८० तथा ४८२ के अर्धान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की आगे १९३ और २१८ के अर्धान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(४) गाज़ सरकार प्रबन्धतन्त्र को ऐसे निरीक्षण या जाँच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और किये जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश दे सकेगी और प्रबन्धतन्त्र ऐसे निर्देशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

(५) गाज़ सरकार उपचारा (४) के अधीन प्रबन्धतन्त्र को दी गयी किसी संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी।

(६) गाज़ सरकार किसी समय सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र अथवा प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जाँच के सम्बन्ध में कोई जानकारी माँग सकेगी।

(७) (१) घटक महाविद्यालय वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा नामित किए जायें।

(२) किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य, महाविद्यालय में नामावलीगत छात्रों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और महाविद्यालय को आवंटित लिपिक-बर्गीय तथा अवर कर्मचारिण्यन् पर साधारण नियन्त्रण होगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायेंगी।

*१४२—*२४३—

(४) विश्वविद्यालय किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसन्धान कार्य के संगठन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा।

अध्याय-८

प्रवेश तथा परीक्षायें

*१४५. (१) कोई भी छात्र किसी भी उपाधि के अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश पाने के लिए पात्र न होगा, जब तक कि उसने विश्वविद्यालय की उत्तर मध्यमा या सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बारांगती की मध्यमा परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा उसके बाबत मान्यता आपत्ति कोई परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और ऐसी आतिरिक्त अर्हता, यदि कोई हो, जो अध्यादेशों में निर्धारित की जाय, न रखता हो।

(२) वे शर्तें जिनके अधीन छात्र विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकेंगे, अध्यादेशों द्वारा विहित की जायेंगी।

(३) विश्वविद्यालय को (किसी उपाधि या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के प्रयोजनार्थ) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को अपनी उपाधि के समतुल्य अथवा किसी अन्य प्राचार्यकारी द्वारा, संचालित किसी परीक्षा को, किसी भारतीय विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता देने की शक्ति होगी।

(४) किसी ऐसे छात्र को, जिसका काम अथवा आचरण असमाधानप्रद हो, विश्वविद्यालय या संस्थान या घटक महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय से अध्यादेशों के अनुसार हटाया जा सकेगा।

(५) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे १८८० मध्यमें प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुलू देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से अध्यादेशों में अधिकारित दर पर पास के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई अंशदान, दान, फौस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदेश, चाहे वह नकद हो या बस्तु रूप में, न लेने या प्राप्त करने देगा।

२४६. कोई किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राचार्यकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित है, अंशदान या दान चाहे वह नकद हो या बस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहाँ उस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह महाविद्यालय को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायेगा, जिसका संचालन राज्य सरकार के समान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायेगा।

४७. (१) वह धारा लखनऊ, उत्तराहावाद, गोरखपुर विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य विश्वविद्यालय, जिसे गज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पर लागू होगी।

(२) विश्वविद्यालय के छात्र-निवास या छात्रावास वही होंगे, जो—

(अ) विश्वविद्यालय द्वारा पेंचित तथा परिनियमों में नामित हों,

(ख) कार्यपरिषद् द्वारा ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर, जो अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित की जायें, मान्यता-प्राप्त हों।

(३) छात्रनिवासों तथा छात्रावासों के बार्डन और अन्य कार्यादेशों द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(४) कार्यपरिषद् को किसी ऐसे छात्रनिवास या छात्रावास की जो उपचारा (२) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार घोषित न हों, मान्यता को निलम्बित करने या वापस लेने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसे छात्रनिवास या छात्रावास के प्रबन्धतन्त्र को प्रस्थापित कार्यवाही के बिना आप्यावेदन देने का अवसर दिये जिना कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(५) विश्वविद्यालय के ऐसे छात्रों के लिये, जो किसी घटक महाविद्यालय या छात्र-निवास में अथवा उसकी देख-रेख में नहीं रहते हैं, निवास-स्थान, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी इन्तजाम का पर्यवेक्षण करने के लिए एक अनिवासी छात्र केन्द्र होगा। अनिवासी छात्र केन्द्र का गठन, शक्ति तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

४८. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन के लिए इन्तजाम करने का निदेश देगी।

अध्याय-९

परिनियम, अध्यादेश तथा चिनियम

४९. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :—

(अ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य,

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या बांछनीय हो,

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य,

(१घ) सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों और विश्व-विद्यालयों के प्राचारों और अन्य अध्यापकों का बर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं), उनके द्वारा विद्यासम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुचालनीय आचरण नियम और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या बांछनीय हो,

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं) और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा-नियुक्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं),

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य-निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना,

(ङ) उपाधियाँ तथा डिप्लोमा संस्थित करना,

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना,

(झ) उपाधियों और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना,

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्तरादन और पुनःसंगठन,

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना,

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा पेंचित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुनःसंगठन,

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य-निधि का गठन अथवा बीमा जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके,

(ढ) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को मान्यता प्रदान करना,

(१ण) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा-नियुक्ति की आयु और अनिवार्य सेवानियुक्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं और उनके सेवा अभिलेख की रक्का और अनुरक्षण,

(त) छात्रवृत्तियों, अधिकात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों की संस्थित करना,

(थ) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण की अर्हतायें, शर्तें और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना,

(द) दीक्षानात समारोह, यदि कोई हो, करना, और

(घ) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों, किये जा सकेंगे।

५०. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बताये जायेंगे और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, जब तक प्रथम परिनियम इस प्रकार न बताये जायें, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त परिनियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्जन, जो आवश्यक या समीचीन हों, के रूप में हों, और जिसको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपान्तरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

(१-क) राज्य सरकार, ३१ दिसम्बर, १९९० तक किसी समय प्रथम परिनियम को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी, चाहे वे परिवर्तन, प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हों, और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनांक से हो सकेगा, जो इस प्रकार ग्राम्य होने के दिनांक से पहले का न हो।

(२) कार्यपरिषद् ३१ दिसम्बर, १९९० के पक्षात् किसी समय, नवे या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपचारा (१) अथवा उपचारा (१-क) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।

(३) कार्यपरिषद् किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(४) प्रत्येक नवा परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्जन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति देके सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिए कार्यपरिषद् को मेज सकेगा।

(५) कार्यपरिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस तारीख से; जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाय अथवा ऐसी पक्षाद्वारी तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, प्रभावी होगा।

५४. (१) विषयवाचित्रता को व्यापक रिपोर्ट आर्थिक परिवहन के लिए दरांग होने वाले जायेगी और उसे सभा को उसके व्यापक अधिवेशन के एक नाम पर्यंत किया जावेगा और तभी अपने व्यापक अधिवेशन में उत्त प्रधान करेगी।

(२) समा लंकत द्वारा ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में तिफारिसा कर सकेगी और उसे कार्यपरिषद् को तंत्रित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे पाठीक लाने।

५४. (१) विषयालय का आधिक तेखा तथा तुननपव कार्यपालिके के निदेशालय तेखा किये जायेंगे और किसी भी खोत ते विषयालयत्र प्रोस्ट्रुक्ट या आज तक थन और ऐसी रकमें जिनका वितरण अथवा संदर्भ किया गया हो, विषयालय डारा रखी गयी तेखा मे प्रयिष्ठ के जावेगी।

(२) वार्षिक तेखा और तुतनपत्र की एक प्रतितिपि राज्य तरकार को प्रत्युत की जायेगी, जो उनकी सम्परीक्षा करायेगी।

(३) यार्पिक तेखा तथा तुतनप्रक की सम्परीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें तुष्टि किया जायेगा और उनकी प्रतिवाँ सम्परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों सहित कार्यपरिषद् द्वारा तथा ताप तस्वीर को प्रस्तुत की जायेंगी।

(४) कार्यपरिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाय, आगानी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(५) यद्य क्री प्रत्यक्ष नह नह, जो याधित रक्त से अधिक हो, जिसे बजट में तमाजित करने को प्रस्तापना हो, कायरिटद् दाय पितामहित को निर्दिष्ट को जायेगा, जो उत पर अपनी तिकारियों कर सकेगा।

(६) कार्यपरिषद्, वित्त तन्त्रिति को सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विधान करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुग्रहित करेगा।

(६) यांचक तत्त्व, तुलनेप्रत तथा सम्पर्काता रिस्टरेट पर तसा अपेन यांचक आधवशन न विद्यार करणा और तसा उतके ताच्चन्य न तकात-
द्वारा तिथिरायी को संकेगी और उते कार्यपरिवर्त को तंतुयित करेणी।

(८) कुतपात या कायपारखद् द्वारा काइ एसा व्यव उपगत करना वधन हाहगा—
(क) जो या लो बहन वें संज्ञ होये या लो बहन संज्ञ होये के प्रश्नपत्र सव्य विवरण

(के) वह बात जबत न मूर्ख हो वा यह लोग अपना उच्च सकारा का गारीत तरकार वा प्रियंकारात्मक अनुदान आया फिरी अलंकाराद्वय वाला उपग्रहण द्वारा विश्वविद्यात्मक की अनुदान एवं विद्यार्थी वाला देखा जाए, ऐसे अनुदानों के अनुतार वह लोग अपना यात्रा १३ की उपग्रहण (४) में किसी वात के होते हुए भी, अर्थात् वात, वाय, औत्रांश अथवा अन्याक्षरित्वक अनुदानों ने कुत्साति पाप हङ्गार ते अधिक ऐसा आनावर्ती व्यय उपग्रह कर सकेगा, जो बजट में नंजूर न हो और ऐसे तमी व्यय की तृद्याना वह अवितर्न राज्य ताकार को देगा।

(ख) जा १६८ आधानवन के अथान तापायित कुतापिता या गज्य तस्कार के अथान किसा आदश का प्रयोग करने के लिए किसी सुकर्तने के तत्वात्मा में हो।

५५-क. (१) यार ९ के खण्ड (ग) से (ज़) ते नियन्त्रित करते अधिकारी परिषद्विधाता के द्वारा पन वा लम्पारों को हानि, दुष्प्रय या दुरप्रयोजन के तिए अधिकार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुष्प्रय या दुरप्रयोजन उसको उपेक्षा या अवश्य के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हो।

(२) अधिकार की प्रक्रिया और ऐसी हालि दुर्ब्यय या दुश्पलयजन में अन्तर्भृत धनपाश की वसूली की जाए तो ऐसी होगी, जैसा विहित की जाय।

अष्ट्याय - ११

उपाय महाप्रधानवा का विवरणम्

(क) तात्पत्री सम्बद्ध या तहवुल नहाविद्यातय के तत्त्वन्य में 'सत्त्वार्थ' के अन्तर्गत नहाविद्यातय की तमस्त तन्मयी आती है, याहे जंगन हो और त्यापा, जो उत्त तन्मयीताय के तत्त्वन्य में हो या उत्त तन्मयीताय के जायदे के तिथे पूर्णतः या शामतः विन्यासित हो और जिलके अन्तर्गत भूमि, वानर (जाग्रातासां तहित), संकर्ष, पुरुषान्वय, प्रयोगशाला, उपकारण, उपस्थर, फाँट्यार, तेखन सामग्री, रसार, स्वायत्त यान और औन्य यान, चतुर कोई हो, और नहाविद्यातय से तत्त्वन्यात अन्य यींजे, हाथ की एकड़, वैकंक नहरी, विनियान और बही छान और ऐसी तन्मयी जो नहाविद्यातय के स्वायान्वय, कबज्जे, शाकी या नियक्रण में हो, से उद्दृत देखे तभी अच्युत्याकार और हित और तत्त्वत तेखावाहीयों, रजिस्टर और तत्त्वन्याई किती भी प्रकार की अन्य दत्तायें हैं तथा नहाविद्यातय के सभी अस्तित्वयुक्त उपाय और किती भी प्रकार के दायित्व और वाप्रताएँ भी इतेहे अन्तर्गत समझी जायेंगी।

(ख) 'विन' ते उपतब्धियां का जोड अनिवेद है, जिसके अन्तर्गत अध्यापक वा अन्य कर्माणीयों को अनुहोष कर्तौतियाँ करते के पश्चात तत्त्वतय संदेव लगाहारा नामा या कोई अन्य नामा है।

५७. यदि राज्य तरकारी को किसी सम्बद्ध या ताथवुक नहाविदातय (राज्य तरकारी या स्थानीय प्रायिकारी द्वारा अन्यान्य रूप से पोषित नहाविदातय से मिल) के सम्बन्ध में निम्नतिखित जानकारी प्राप्त होती है—

(.) कि उत्तरा प्रवन्धनात्मक ऐसी अर्थात् वाते, जो नालियात्मक के साथसाथ में विद्या तत्त्वात्मक तरतुरों को तुलनित करने के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हैं, अध्यापक नियुक्त करने में अलफत रहता है, अथवा उत्तरे परिनियमों या अध्यादेशों के उत्तरांश में किटी अध्यापक को नियुक्त

किया है या सेपा में रखा हुआ है १८्या उत्तर-प्रदेश उच्चतम शिक्षा तेला आयोग अधिनियम, १९८० के अधीन उत्तर-प्रदेश उच्चतम शिक्षा सेपा आयोग की तिथारिका के आधार पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के अदेशों का अनुपातन करने में असफल रहता है। या

(१) कि ऐसे किसी विषय ने जो विषयित व्याख्याओं द्वारा इस अधिकार के बारे में है कि वे उत्तरके प्रबन्धन के विषयीय पदाधिकारी हैं, नहिंविदातव

(क) उत्तरां और युवाविद्यात्मित प्रशासन पर नियम डाला है, वा
 (क) उत्तरां प्रबन्धतत्व नहींविद्यात्मित को ऐसे प्रबन्धित और उचित आवात, पुस्तकात्मय, फॉर्माएर, तेखन-तात्त्विक प्रबोगशाता, उपस्कर और अन्य सुविधायें, जो नहींविद्यात्मय के लक्ष प्रशासन के तिये अवश्यक हैं, को व्यवस्था करने में बार-बार असफल रहा है, वा

(4) उक्त प्रबन्धन ने नालोपायितात्व की सम्भावा का सारांश रूप से इस त्रिकार परिवर्तन, दुलगयोग का दृष्टिविजयोन किया है, जिसे नालोपायितात्व का अहित हो, तो वह प्रबन्धन से यह कारण दर्शित करें की नांग कर सकेंगी कि घार ५८ के अधीन आदेश बंदों न किये जायें परन्तु जहाँ वह विवाद हो कि प्रबन्धन के पदाधिकारी कौन हैं, तो ऐसी सुन्नता उन तसी व्यक्तियों को जारी की जायेगी, जो ऐसा होने का वाच करते हैं।

५८. (१) यदि आप ५७ के अधीन प्रबन्धनतंत्र द्वारा प्रत्युत स्थापितरण, बिंदी कोई हो; पर विधार करने के पश्चात् गज्ज तरकार का यह लानायन हो जाय कि उत आप में पर्याण कोई आयात विघ्नान है, तो यह अद्वेष द्वारा किसी व्यक्ति को (जिसे इतने इतके परशात् प्राप्तिकृत नियन्त्रक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) इत बत के तिये प्राप्तिकृत कर लेकरी कि यह नहायित्रात्व और उतकी तम्पन्ति का प्रबन्ध दो वर्ष से अनापिक ऐसी अपविधि के तिये यो विनानिदिष्ट की जाय, अपने हाथ में तो तो और यह प्रबन्धनतंत्र को अपविधि करके होगा और जब करी प्राप्तिकृत नियन्त्रक प्रबन्धन को इनक्रिया करना आपने हाथ में लेते होए है, तब उन नियन्त्रनों के अधीन रहते हुए, जैसा गज्ज तरकार अपीलेपित करे, उते नहायित्रात्व तथा उसकी तम्पन्ति के प्रबन्ध के तम्बन्ध में ऐसी अपविधि और अपविधार होंगे, जैसा कि प्रबन्धनतंत्र को उत सचय होता, जब कि नहायित्रात्व और उतकी तम्पन्ति के अधीन ताकि उनमें तारी तो गयी शोंगी।

परन्तु यदि राजा कर्ता की यह गय हो तो विषयादाता की उत्तरी सम्पत्ति का ज्ञात व्रतन्तु तुलिंशित बनाये रखेने के लिए ऐसा करना सोनीची है, तो यह तन्मय-तन्मय का आदेश के प्रवर्तन का वित्तार ऐसी अधिकि के लिये जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो, यथाविनिष्ठित रूप से कर सकेगा, किन्तु इत्य प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की कुल अधिकि जितके अन्तर्गत इत्य उपधारा के अधीन प्राप्ति के आदेश में स्थिरित अधिकि ही है। याकृष्ण संभवतः अधिक न हो।

परन्तु यह और कि याज्ञ संख्या इस उपधारा के अपील किये गये आदेश को किसी भी समय प्रतिवर्त्तक कर देकर्नी

(२) यारे ५७ के अपील सुनाया जारी करते हुए जब गज्जत तत्काल की गय अपीलिंगित कारणों से यह हो कि नहायिदातव के हित में तत्काल कार्यवाही करना आपशक्त है, तो वार प्रबन्धन निर्वाचित कर सकेगी, जो तदुपगमन कार्य नहीं करेगा और नहायिदातव तथा उसकी समर्पण के कार्यकार्ताओं के प्रबन्धन के लिये अप्रैल कार्यवाहिकों के पास शोने तक प्रेस प्रबन्ध करेगी। इस तरह यारे यीकू तनाज़े-

परन्तु ऐसा कोई आदेश उत्तर तारीख से जब कि ऐसे आदेश के अनुसार एक दिन तक दूसरा व्रत करना, तब उन्हें यह उत्तर नहीं। अधिक के लिए प्रश्नगांठ नहीं रहेगा : प्रत्युष यह कहता है कि उक्त छा नात की अधिकारिता की तीरणांक करने में यह तलवार की दौरान वह आदेश संविधान के अनुच्छेद २२६ के अर्थात् अधिकारिता के प्रयोग में उक्त न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा या नितान्त्रित रुप या कोई अधिक जिसके द्वारा प्रबन्धनात रुपांतर ५१ के अधीन तत्पन्न के अनुसार संकाय दर्शित करने में अतफल रुप या अपर्याप्ति कर दी जायेगी।

(३) उपराय (१) में किसी बात का हो अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि पहले प्रायिकत्व के उपरायकों को नहायिदातय की किसी स्थायर सम्पर्क आ अनुभव करें।

(४) इस द्वारा के अधीन किया गया कोई अदेश नहींशिक्षात्व के बाय उसकी सम्पत्ति के ब्रवन्द और निवन्धन से ताम्चित किती अन्य

परन्त नालापिद्रात्य की सचित्त और उसके चोड़ आव नालापिद्रात्य अपेक्षा जनर्थ उत्तर प्रकार उपयोग किया जाता रहेगा, जैसा कि

६८. यदि कोई ऐता प्रश्न उठे कि कोई प्रतिक्रियात्व के किती प्राप्तिकारी या अन्य निकाय का वयाचारिण निर्वाचित वा निमुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार हो, वा तरी, अपवा विश्वविद्यालय के किती प्राप्तिकारी या अधिकारी को कोई विनिध्य १(जितके) अन्तर्गत किती तेरे परिनियम, अध्यादेश या विनियम को गज तकाहा या कुलतापित द्वारा निर्वाचित वा अनुनोदित परिनियम या अध्यादेश न हो, की परिचायित्वा से तकाहा कोई प्रश्न मी है) एस अधिकारीका या उतके अपनी विधाय गये परिनियम या अध्यादेशों के अनुरूप हो या तही, तो उठ विषय कुलतापित को निर्दिष्ट करा जायेगा और कुलतापित का उत पर विचारिण अन्तर्गत होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश—

(क) उस तारीख के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मात्र से अधिक के पद्धति

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के तिवार नहीं किया जायगा।

परन्तु यह और कि कुताथिपति आपवादिक परिस्थितियों में—

(क) पूर्णानी परन्तु कें वर्णित कातायाधि को समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर लेगा अयथा निर्देश ब्रह्म का लेगा।

(ख) जहाँ निर्दिष्ट विषय का सम्बन्धित निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो और इत प्रकार निर्वाचित व्यक्ति को पात्रता

संदेहात्पद हो, तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा, जिसे पह न्यायोपचित और सनीधीन समझे

२(ग)

८८-क. (क) जहाँ सत्तर्क या ताहुनुक नाविगेश्ट्रात्य के प्रबन्धतन्त्र के किंतु अध्यापक को पदस्थृत करने, हटाने, या पंचिक्षयूत करने या किंतु अच्युती से उते टण्ड देने या उत्तकी सेपा तात्पात करने के विविध वा कुतृपति ने अनुग्रहन नहीं किया है या जहाँ इस अधिनिवन के या भाग ४४ द्वारा निरसित अधिनिवन के उपचर्वन्यों के अनुसार कुतृपति ने ऐसे अध्यापक के नितात्पन के आदेश को खण्टित, प्रतितंदृत हा या उपान्तरित कर दिया है, और प्रबन्धतन्त्र ने ऐसे अध्यापक के बेतन का, जो कुतृपति के आदेश के परिणामस्वरूप उते देव हो गया है, मुगातान करने में अविकल्प किया है, वहाँ कुतृपति या आदेश दे तकता है कि प्रबन्धतन्त्र बेतन की उत परिच का मुगातान को जो आदेश ने विनिर्दिए हो तथा नितात्पन कात में देव बेतन का १/२ की दर से नितात्पन नामा, यदि मुगातान न किया गया हो, तो मुगातान करने के तिए भी प्रबन्धतन्त्र को आदेश दे तकता है।

(२) उपराह (१) में निर्दिष्ट किती नामते में, कुरुपति सच्चद अध्यापक को, ऐसी शर्तों और निवन्यों पर, जैसा वह उपर्युक्त तनाजे बचाती का भी आदेश दे तकता है।

(३) उपधारा (१) के अधीन कुतपति के किसी आदेश में शुगान के लिए एपोलित वेतन या नितन्वन जाहा की अनुचारि कुतपति द्वारा जारी किये गये इस आशाके प्रकाश-पत्र पर, कलेक्टर द्वारा शु-राजन्य की बचावा की सौंठ प्रत्युत की जायेगी।

(४) उपराह (२) के अधीन कुतपति का प्रत्येक आदेश क्षेत्रीय अधिकारितायुक्त निम्नतम तिथित न्यायालय द्वारा निष्पादित होगा, जहाँ पहले उस न्यायालय की डिग्री हो।

(५) किसी ऐसे प्रविष्टि के सम्बन्ध में, जितके तिए इस आग के अधीन कुतृपति द्वारा अनुतोष दिया जा रहता है, किसी प्रबन्धतत्व या अध्यापक के पिछड़ कोई आद माला नहीं होगा।

७०. (१) विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के किसी साधारणतया अध्याय सामाजिक को बिना रखी, आवेदन, तृप्ति, आदेश, काव्यालाई, संकरत्पय या अन्य दस्तावेज अध्याय विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाविधि अनुसूचित किसी एजिटर की किसी प्राप्ति की प्रति, यदि कुत्तावधार द्वारा सामाजिक के रूप तथा ऐसी आवेदन, आवेदन, तृप्ति, आदेश, काव्यालाई या संकरत्पय अध्याय दस्तावेज के अध्याय एजिटर के रूप में प्राप्ति होने के प्रबन्धदृष्ट्या सामाजिक के रूप तथा ऐसी आवेदन, आवेदन, तृप्ति, आदेश, काव्यालाई या संकरत्पय अध्याय दस्तावेज के रूप में उत्ती प्रकार व्यहार के लिये साक्ष्य के रूप में उत्ती प्रकार व्यहार की आवेदन, जैसा कि यदि कुत्त अप्रत्युत की गई होती, तो वह साक्ष्य में शायद होती।

(२) विष्णुविद्यात्व के किंतु अधिकारी या लेपक से, किंतु ऐसी कार्यवाही में, जिनमें विष्णुविद्यात्व एक पद न हो, विष्णुविद्यात्व का कोई ऐसा दातव्येत्र, रजस्तर या अन्य अभिमेत्र, जिनकी अल्लर्वस्तुपै उपयाग (१) के अधीन प्रणालित प्रति द्वारा तिद्द की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उत्तर अधिकारितवात् विष्णु तथा अव्यवहार को तिद्द करने के तिप् तात्का के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जाएगी। जब तक कि तात्त्विक प्रकारण से आदेश न दे।

* (३) तार प्रदेश राज्य विधानसभा अध्यक्षदरो, १९७३ की वारा ६७ की उपवारा (२) के अनुतरण में गठित प्रासादानिक तमनियाँ और विधा-समितियाँ १५ तितम्बर, १९७२ को विधिट उन बातों के तिथाय हो जायेंगी, जो उल्लंगे उत तारीख से पूर्व किया था या उनके किये जाने में सोध किया था, किन्तु इत वारा कोई बात राज्य तरकार को उत तारीख से उपवारा (२) के अधीन कोई ऐती कार्यवाही करने से, जिसे एक गोल तमनि या प्रासादानिक कहने आने लाई तमनी जायेगी।

(क) प्रत्येक व्यापारी जो कानूनिकाधारी के विधिविधातय के रूप में स्थापित होने के द्वारा पूर्व की तारीख को (कुलाधिपति से लिए) उन्हें किसी अधिकारी के रूप में पढ़ याचन कर रहा है, अपापि के तिथयां उन्हें निम्नलिखित तथा शासन पर, तब तक उन्हें तक कि खण्ड (ए) के अधीन

(ख) इस वारा के श्रावण होने के पश्चात्, वयाशक्ति शीर्षी, रात्र रात्रका (कुत्रापिति से निः) तथा विश्वविद्यात्य के अत्तरिण अविकारियों की नियुक्ति का तकेगी और उक्त विश्वविद्यात्य के अत्तरिण श्राविकारियों का गठन ऐति गित से करेंगी, जिसे वह उपर्युक्त सनझे, ऐस

होने पर खण्ड (क) में निर्दिष्ट तत्त्व अधिकारीये पद पर न रह जायेंगे और तत्त्व अधिकारीयों का तात्पात्र पिघटन हो जायेगा।
 ३(ग) खण्ड (ख) के अपेक्षा नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारिकों के तदवृत्त २१ दिसंबर, १९८१ तक या खण्ड (घ) के अनुसार अधिकारीयों को नियुक्त या प्राधिकारीयों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद बारंग करेंगे;

(घ) राज्य तासका, इस अधिनियम के उपर्यांतों के अनुसार उक्त प्रिवेटियात्रवे के अधिकारियों की नियुक्त तथा प्राधिकारियों के गठन के त्रितीय इत्तेब्राह्मण वार्षायिक कार्यगारी कि खण्ड (ग) के अंदर आनन्दराज अधिकारियों तथा तासदृश की अतग-अतग पदाधिक की तात्पत्रिके पूर्व उते पृष्ठ किया जा सकते।

अच्युतिं या किंतु अच्युतं दस्तावेजं या कार्यवाहिणीं ते गङ्गात विश्वपिण्डातय के प्रति किंतु निर्देश ओ हेन्पतीन्तदन बहुगुणा गङ्गात विश्वपिण्डातय के प्रति निर्देश सन्माना जायेगा।

१२-ग. १७ जनवरी, १९५४ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्त्वज्ञ प्रबन्ध किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज़ या कार्यालयों में नेट विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को पूर्णी घटना तिथि विश्वविद्यालय, नेट के प्रति निर्देश लगाना चाहिए।

१२-ह. १८/१९ जन. १९५५ से, इस अधिनियम अंकिती नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्त्वज्ञ प्रबन्ध किसी

३२८ पृ. १०८ अंतर्गत शुल्क १९९५ ते. इस आविष्कारना पांचाला नियम, अध्यादेश, वर्धनियत तंत्रज्ञ या तत्त्वज्ञ प्रश्ना किंतु अच्युत कैप्टनावाद के प्रति निर्देश तनाजा जावेगा।

३(३) ११ जून, १९९५ ते. इस आविष्कारना या किंतु नियम, पर्यावरण, अध्यादेश, वर्धनियत तंत्रज्ञ या तत्त्वज्ञ प्रश्ना किंतु अच्युत कैप्टनावाद के प्रति निर्देश तनाजा जावेगा।

विषय वा क्रिता अन्य दस्तावेज वा कार्यालयावां अपने उत्तराधारात्मय या तो शानमन्तरात् ताहाय प्रशंसाधारात्मय, फजाबाद के प्रति कल्पना नदर को ठंडा शानमन्तरात् ताहाय अथवा उत्तराधारात्मय, फजाबाद के प्रति निर्देश सन्दर्भ आयेगा।

५२-८. १५ जुलाई, १९७५ त्र०, इस अधिकारियम, परिविषयक, अध्यादेश, परिनियत तंत्रेस्य या तत्त्वत्व प्रबृक्ष किसी अन्य विषय वा किसी अन्य दस्तावेज या कार्यालयोंने कार्यालयाधीष के प्रति किसी निर्देश या नहाताना गांधी कार्यालयाधीष, घाराणटी के प्रति

निर्देश संसदीजा जायेगा।
३२-४. (१) २४, तितम्बर, १९९५ से, हस अधिनिवन या किसी निवन, परिनिवन, अध्यादेश, परित्यक्त संतोष या तत्त्वन्य प्रवृत्त किती अन्य विवाह या किसी अन्य दत्तात्रेय जा कार्यपालियों में आगरा विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को क्रगशांकोर शैक्षणिक अवेदक विश्वविद्यालय, आगरा तथा श्री राधाकृष्णन हायग्रह विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति निर्देश संसदीजा जायेगा।

(१२) ड्र. राज्य पिश्वपिण्डात्म (तंसोपन) अधिनियम, १९९७ के प्रान्त की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिवर्तनम्, अव्यादेश, परिवर्तन तंतुभूत वा तत्त्वन्य प्रशुग किती अन्य पिण्ड या किसी अन्य दत्तात्रेय वा कार्यपालिहोंने कानपुर पिश्वपिण्डात्म वा श्री शाहजी नानापाज पिश्वपिण्डात्म, कानपुर के प्रति किसी निंदेंगा को क्षमतपूर्ति शाहजी नानाराज पिश्वपिण्डात्म, कानपुर के प्रति निंदेंगे तमन्ना जाएगा।

७३-८७. उ.प्र. राज्य परिवर्तनात्मक संसोधन अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम अध्यादेश, परिवर्तन तत्त्वात् वा तत्त्वात् प्रभुत्व की अन्य विधि वा किसी अन्य दत्तात्रेय वा कार्यवाहिकों में गोरखपुर परिवर्तनात्मक और एहतिखाल परिवर्तनात्मक के प्रति किसी दत्तात्रेय को छापना। दत्तात्रेय उपाध्याय गोरखपुर परिवर्तनात्मक योगीताका फुटे दत्तात्रेय के प्रति किसी नियम तथा संस्कार दत्तात्रेय को छापना।

१२-३. उ.प्र. राज्य परिवर्तनशालीता (लोकाशयन) अधिनियम, १९९९ के प्रारम्भ की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियन्त्रण, परिनियन्त्रण, अव्याधेय तंत्रों के तत्त्वात्मक प्रबुद्धा किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज़ का कार्यवाहीयों में पूर्णांगत परिवर्तनशालीता के प्रति विचारित होना चाहिए।

(ग) जहाँ किसी संस्था ने आगरा विश्वविद्यालय ते सचिव छोड़ होने के तिथे आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६ के उपबन्धों के अनुसार १८ जून, १९७३ से पूर्व आवेदन किया है और ऐसा आवेदन उक्त तारीख को तांचित था और जहाँ वह तांचान स्थित है, वह स्थान इस अधिनियम के अधीन आगरा विश्वविद्यालय के क्षेत्र से बाहर पड़ता है, तो ऐसा आवेदन आगरा विश्वविद्यालय के तकल्प प्राचिकारियों द्वारा निपटाया जा सकेगा, जानो वह संस्थान उत विश्वविद्यालय से सचिव छोड़ किया जाता है और कुत्ताधिकारिता द्वारा ऐसा आवेदन मंजूर किये जाने पर वह संस्था उत विश्वविद्यालय से सचिव छोड़ जाएगी, जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता के गोतर, जैसा कि वाह ५ में विविटिष्ट है, संत्खान स्थित होगा।

* संक्षिप्ताक्षर्यों।

(छ) यारणती किते ने स्थित काशीनदेश गणराज्य डिवी कॉर्पोरेशन, झानपुर या गणराज्य डिवी कॉर्पोरेशन जखनी अपना देहरादून किते ने स्थित गणराज्य डिवी कॉर्पोरेशन, ब्राह्मिकेश के प्रत्येक देसे छात्र थे, जो—

(१) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९७३ के प्रारम्भ के ढाके पूर्व, आगरा विश्वविद्यालय की किसी उपायि के तिथे अध्ययन कर रहा था; या

(२) उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपायि के तिथे विद्यार्थ १९७३-७४ के दौरान उक्त नहाविद्यालयों में से किसी नहाविद्यालय के छात्र के रूप में प्राप्त था; या

(३) वर्ष १९७४ में, या शूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष १९७५ में अपया वर्ष १९७६ में उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपायि परीक्षा में बैठने के तिए पात्र थे;

आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्य-विषयों के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुशा दी जायेगी और आगरा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के शिक्षण तथा उनकी परीक्षा के तिए अपश्यक प्रबन्ध किया जायेगा और ऐसे परीक्षाकार पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपायि प्रदान की जा सकेगी।

* (ज) जब तक कि वाह ४ की उपाया (१) या उपाया (२-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय में संकायों का गठन न हो जाय, वाह २१ की उपाया (४) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट द्यन तांचित में निलातिखित तदत्य होंगे, अध्यत्—

(१) प्रबन्धन का अध्यक्ष अपया उल्के द्वारा नानानिर्दिष्ट प्रबन्धन का एक तदत्य, जो अध्यक्ष होगा;

(२) प्रबन्धन का एक तदत्य, जो कुत्तापति द्वारा नान-निर्दिष्ट किये जायेगे।

१. अधित्यान दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाता गया।

२. अधित्यान दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाता गया।

३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।

४. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

५. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन)

अधिनियम, १९७४

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९७४)

अध्याय ४

अस्थायी उपायन

२८. (१) हज्य सरकार, किसी कठिनाई को, विशिष्टत बुन्देत्खण्ड, अध्यय, रहेत्खण्ड विश्वविद्यालयों अवया नरेन्द्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या अन्दरोहर आजाद कूली एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना और उनके कूल्य के तदब्द में, दृढ़ करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निर्देश दे सकने की अध्यय २ तथा ३ में निर्दिष्ट अधिनियमितों के उपबन्ध एतो वातावरण के दौरान, जो आदेश में विविटिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलतान्त्र के अनुरुप हुए, या वे परिक्षार, परिवर्तन या रूप में हों, जिन्हें वह अपश्यक या समीक्षात समझे, प्रायोगी होंगे :

(२) उपाया (१) के अधीन दिया गया प्रबन्धक आदेश हज्य विद्यान नान्डत के दोनों सदनों के तदत्य रख जाएगा।

(३) उपाया (१) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपात नहीं की जायेगी कि उपाया (१) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यान नहीं थी अथवा उल्कों दूर काना अपेक्षित नहीं था।

उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)

अधिनियम, १९८०

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९८०)

१०. नूत अधिनियम में किसी बात के होते हुए थे—

(क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राचिकारी या हज्य सरकार द्वारा २१ जुलाई, १९८० (जिसे आगे इस खण्ड में उक्त दिनांक कहा गया है) के प्रश्नात् किन्तु ३१ जुलाई, १९८० के पूर्व किसी तदत्य, उक्त अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में या अपने कार्यालयों के पातन या तात्पर्यित पातन में कृत कौद कार्य या कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश ऐसे विविनान्य और प्रबन्धनीय होगा, जानो इस अधिनियम के उपबन्ध तभी सारमूत तदत्य पर प्रयोग थे और ऐसे कार्य, कार्यवाही या आदेश के स्वत्व में किसी न्यायालय, अधिकारण या प्राचिकारी के तलक के बाद ऐसे अधिकारी, प्राचिकारी या सरकार को ऐसा कार्य या कार्यवाही करेंगे या ऐसा आदेश देने की अधिकारिता नहीं थी;

(ख) सूत अधिनियम की आपात नहीं थी आग ४ की उपाया (१-ख) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और गठित प्राचिकारियों के तदत्यों को जो २१ अप्रैल, १९८० को अपना-अपना पद धारण करते रहे हैं, ३१ दिसम्बर, १९८१ तक या उक्त तदत्य तक जब तक कि उक्त उपाया के खण्ड (क) के अनुसार अधिकारी तदत्यकृत रूप से नियुक्त न कर दिये जायं और प्राचिकारी तदत्यकृत रूप से गठित न हो जायं, इसमें जो भी पहले रहे, पूर्वतः ऐसे पदों को अधिकारी देने की अधिकारिता नहीं थी;

(ग) तदत्यकृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८० के अधीन बनाये गये प्रयत्न प्रतिविधियों के प्रतिविधि १७३-ए के अनुसार, १२ जून, १९७३ से आरम होने वाली और २२ अगस्त, १९८० को लागत होने वाली अधिकारी या अधिकारी की गयी प्रबन्धक अध्यापक की नियुक्ति, जो २२ अगस्त, १९८० को अस्तित्व में थी, विविनान्य तभी लम्जी जाएगी, और उक्त प्रयोजन के तिथे, उक्त परिविधि १७३-ए को उक्त अधिकारी या अधिकारी के उपबन्ध तदत्य पर प्रयोग करते रहे और ऐसे कार्य, कार्यवाही या आदेश के स्वत्व में विविटिष्ट किया जाएगा।

११. (१) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संसोधन) अध्यादेश, १९८० और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पूर्वतः तंसोधन)

अध्यादेश, १९८० ऐस्तद्वारा किया जाता है।

(२) ऐसे निरतन के होते हुए थे, उपाया (१) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा व्यावर्त्तारूप नूत अधिनियम के तत्वानांतर उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही तदत्यानी जाएगी, जानो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस अधिनियम के तत्वानांतर उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही तदत्यानी जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय

(नियुक्तियों की विविनान्यता) अधिनियम १९८४ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८ सन् १९८४।

राज्य विश्वविद्यालयों में कोई गई कुछ नियुक्तियों को विविनान्य करने के लिये।

भारत गणराज्य के पैरीसायर वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया गया है।

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विविनान्यता) अधिनियम १९८४ कहा जाएगा।

२. नियुक्तियों की विविनान्यता

किसी न्यायालय के किसी नियंग, डिवी या आदेश या किसी अधिकारी या प्राचिकारी के आदेश या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९८३ या उल्के अधीन बनायी गयी परिविधियालयों में दो गयी किसी बात के होते हुए थे, उक्त अधिनियम द्वारा नियन्त्रित किसी विश्वविद्यालय में या उल्के किसी तदत्य का लालनुकूल नहाविद्यालय में १ जुलाई १९८४ और इस अधिनियम के प्रख्यापन के दिनांक के बीच की अध्यय में की गयी प्रबन्धक अध्यापक की नियुक्ति, जो जिलापित पदों की संख्या से अधिक पदों पर की गयी हो, विविनान्य होगी और सरदैव से विविनान्य समझी जाएगी और ऐसी नियुक्तियों को विविनान्यता पर किसी न्यायालय, अधिकारण, अधिकारी या प्राचिकारी के तस्वीर इस अधिकारी नहीं किया गया था या विहित प्रक्रिया का अनुतरण नहीं किया गया था।

३. निरसन और अपायद

(४) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विविनान्यता) अध्यादेश १९८४ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १६ सन् १९८४) ऐस्तद्वारा निरसन किया जाता है।

(५) ऐसे निरसन के होते हुए थे, उपाया १ में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किसी विविनान्यता पर बनायी गयी कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही जो उक्त अध्यादेश के तहत की गयी कार्यवाही तदत्यानी जाएगी, जानो इस अधिनियम के उपबन्ध तभी सारमूत तदत्य पर प्रयुक्त थे।